राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : अंकित कुमार सिंह (आई.ए.एस)

प्रकरण सख्या :–83/2024
जीसीएमएस नं.–2024/240

दायर दिनांक :–18.07.2024
निर्णय दिनांक :–18.02.2026

1. श्री नाथा पिता थावरा मीणा,निवासी– पालवडा विलिया फला तहसील पालदेवल
2. श्रीमती नागेर पत्नि नाथाजी, निवासी– पालवडा विलिया फला तहसील–पालदेवल

प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. श्रीमती अमरी पत्नि हुरमा मीणा, निवासी–पालवडा विलिया फला तहसील–पालदेवल
2. तहसीलदार भूमिधारी तहसील–पालदेवल जिला–डूंगरपुर

विपक्षीगण

उपस्थित :–
1. श्री मुकेश कुमार भट्ट, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री प्रेमपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता विपक्षी

प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एक ही संयुक्त परिवार के होकर गरीब आदीवासी है और काश्त करके अपना व परिवार का गुजारा करते है। प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी भूमि नहीं के बराबर है और बपोती खाते की जमीन भी बहुत कम है। बपोती जमीन के बंटवारे में बहुत कम जमीन मीली है। प्रार्थीगण के बपोती खाते कब्जे की जमीन से सटकर बिलानाम भूमि मौजा पालवडा पटवारी हल्का पालवडा मे खसरा नम्बर 2392, 2398 रकबा क्रमश 0.32 एवं 0.48 बीघा पर बाप दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है और जमीन को काफी मेहनत मजदूरी करके काश्त योग्य बनाई है।उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी का एक मकान बना हुआ है जिसमे वह परिवार सहीत निवास कर रहे है और जमीन में बाड भी लगा रखी है बाड के सहारे पेड पौधे भी स्थित है उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। वादीगण के पुराने कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 2392, 2398 रकबा क्रमशः 0.32 एवं 0.48 बीघा का आवंटन दिनांक 23.11.2021 को जरिये मीसल नम्बर 487/23 के विपक्षी नम्बर एक के नाम से आवंटन किया गया है। जबकी विपक्षीगण का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है न ही विपक्षीगण ने कब्जा करने की कोशिश की है। उक्त भूमि का भौतिक रूप से मौके की जांच नहीं की गई है। वास्तविक जांच किये बिना विपक्षी संख्या एक के नाम गलत रूप से आवंटन किया गया है। विपक्षीगण ने पटवारी हल्का व राजनैतिक प्रभाव से वास्तविक तथ्यों को छिपाकर आवंटन कराई है विपक्षी संख्या एक को भूमि आवंटन करने के नियम 14 (4) की पालना नहीं की गई है विपक्षीगण को भूमि आवंटन करने के पूर्व न तो आवंटन की जाने वाली भूमि को सेट अपार्ट किया गया है और इस सम्बन्ध में जन विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है इस तरह भूमि आवंटन नियम 5 व 8 तक की पालना नही की गई है। आवंटन के पूर्व आम नागरिको की आपत्ति होने की सूचना जारी नही की गई है। यदि आवंटन के समय आपत्ति मांगी जाती तो प्रार्थीगण व इनके परिवार वाले आवंटन सम्बन्धि आपत्ति दर्ज करवाते और उस समय विपक्षीगण के नाम यह आवंटन नहीं होता। विपक्षीगण के नाम से पूर्व से ही खाते में बहुत भूमि खाते में दर्ज है, इसे नजर अंदाज कर आवंटन कमेटी द्वारा पटवारी की जांच रिपोर्ट को सही मानते हुए गलत तथ्यों पर विपक्षीगण के नाम आवंटन किया गया है। इसके विपरित प्रार्थीगण के खाते में जमीन नहीं के बराबर है। प्रार्थीगण द्वारा मौजा पालवडा पटवार हल्का पालवडा के खसरा नम्बर 2392, 2398 रकबा क्रमशः 0.32 एवं 0.48 बीघा का आवंटन विपक्षीगण एक व दो के नाम जरिए मीसल नम्बर 487/21 दिनांक 23/11/2021 को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस जवाव देही तलव किया गया। विपक्षी को संख्या 1 की तरफ से अधिवक्ता नियुक्त हुए एवं अपना लिखित जवाव एंव मुताविक दस्तावेजो की सूचि के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। विपक्षी संख्या 1 ने अपने जवाव में अंकित किया कि प्रार्थीगण द्वारा अपने

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त तथ्य झूठे होकर स्वीकार्य नही है। प्रार्थी के पुत्र व पुत्रवधु सरकारी नौकरी करते है जबकि विपक्षीया का परिवार कृषि एवं मजदुरी पर निर्भर है। प्रार्थी के कब्जे की भूमि का उसको पूर्व में ही आवंटन हो गया है। विपक्षीया की जमीन पर विपक्षीया के परिवार का मकान बना होकर बाड लगी है एवं काश्त कब्जा है। विपक्षीया को नियमानुसार सबकी उपस्थिति में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया गया है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रकरण में उभयपक्षों की ओर से उपस्थित हुए अधिवक्तागण की बहस समायत की गई। प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित हुए योग्य अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षीया संख्या 1 को मौजा पालवडा के खसरा संख्या 2392 एवं 2398 में नियमों के विरुद्ध भूमि का आवंटन किया गया है। विपक्षीया को आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण का पुराना काश्त कब्जा बाप दादाओं के समय से चला आ रहा है। विपक्षीया को भूमि आवंटन के पूर्व मौका निरीक्षण नही किया गया है, एवं भूमि आवंटन नियमों की पालना नही की गई है। भूमि आवंटन के नियम 5 व 8 तक की पालना नही की गई। आम नागरिको की आपत्ति होने की सूचना जारी नही की गई है। आवंटन के समय आपत्ति मांगी जाती तो प्रार्थीगण व इनके परिवार वाले आवंटन संबंधि आपत्ति दर्ज करवाते। आवंअन कमेटी द्वारा पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर आवंटन किया गया है जो गलत है। आवंटीत भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है तथा मकान बना है। विपक्षीया के पास अधिक भूमि है तथा उसके मुकाबले प्रार्थीगण के पास कम है।तहसीलदार साहब की रिपोर्ट में भी आवंटित भूमि पर मकानात बताये है तथा आवंटन शर्तो की पालना नही हुई है। अतः आवंटन निरस्त किया जावे। विपक्षीया संख्या 1 की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का पुत्र व पुत्रवधु सरकारी नौकर में होकर विपक्षीया के मुकाबले अधिक समृद्ध व प्रभावशाली व्यक्ति है। विपक्षीया बेवाप होकर उसका परिवार कृषि मजदुरी पर आधारित है। विपक्षीया को प्रशासन गांवो के संग अभियान में आम लोगो की उपस्थिति में आवाज लगाकर एवं आवंटन की जाने वाली भूमि की जानकारी प्रदान करते हुए मजमे आम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया गया है जिसमें किसी प्रकार के नियमो का उल्लंघन नही हुआ है। इस अभियान में प्रार्थीगण को भी उसके कब्जे की भूमि खसरा नं. 2398 एवं 2303 में क्रमशः 0.32 हेक्टर व 0.48 हेक्टर भूमि का आवंटन हुआ है। विपक्षीया को आवंटित भूमि पर विपक्षीया का कब्जा है। बाड थुआर लगी है, तथा वर्षा ऋतु में फसल मक्का की काश्त की जाती है। विपक्षीया की ओर से मौके के फोटोग्राफस व खसरा गिरदावरी संवत 2080 व 2081 की नकले प्रस्तुत की गई है। विपक्षीया द्वारा आज प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि की जमाबंदी नकले, पेश की है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट मौके पर आये बगैर एवं विपक्षीया अथवा उसके परिवार की जानकारी के बगैर उस पर पिपक्षीया के फर्जी हस्ताक्षर कर तैयार कर दी है। विपक्षीया मात्र अंगुठा करती है। विपक्षीया द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की जा रही है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जावे। आवंटित भूमि को बहाल रखा जावे। तहसीलदार पालदेवल का जवाब प्राप्त होकर ग्राम बिलिया पटवार मण्डल पालवडा के आराजी नं. 2392 रकबा 0.32 हेक्टर व खसरा नं. 4331/2398 रकबा 0.48 हेक्टर मीसल नं. 487/2021 दिनांक 23.11.2021 को भू–आवंटन केम्प (भू–आवंटन सलाहकार समिति) द्वारा आवंटन की जाकर अमरी पत्नी स्व. दुरमाजी गैर खातेदार दर्ज होकर खसरा नं. 4331/2398 में वादी नाथा का एक मकान एवं प्रतिवादी अमरी का मकान सहीत अन्य के चार मकान बने होना व खसरा नं. 2392 में काश्त नही होकर वर्तमान में खाली पडी होकर आवंटन खारिज योग्य होना अंकित किया है।

मेरे उभयपक्षो की बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विपक्षीया को आवंटित भूमि पर मकानात बने हेकर आवंटन शर्तो की पालना नही होने से आवंटन को निरस्त योग्य होना बताया गया है। तहसीलदार पालदेवल की रिपोर्ट अनुसार विपक्षीया को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। अतः विपक्षीया संख्या 1 को जरिये मीसल नम्बर 487/2021 दिनांक 23.11.2021 के द्वारा ग्राम पालवडा के खसरा नं. 4331/2398 रकबा 0.48 हेक्टर एवं 2392 रकबा 0.32 हेक्टर का आवंटन निरस्त किया जाता है। पालना हेतु संबंधित को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

(अंकित कुमार सिंह),
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर